BCCI BULLETIN

Vol. 55 | May 2024 | No. 05

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं लोकप्रिय नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन से चैम्बर मर्माहत

राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं बिहार के लोकप्रिय नेता सुशील कुमार मोदी जी का निधन दिनांक 13 मई 2024 को हो गया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 14 मई 2024 को दिवंगत आत्मा की शांति हेतु एक शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गयी कि दिवंगत आत्मा को चिर स्थाई शांति प्रदान करें एवं उनके शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरनीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को बराबर सुशील कुमार मोदी जी का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा। नई कर प्रणाली जीएसटी के कार्यान्वयन के समय माननीय वित्त वाणिज्य कर मंत्री के रूप में राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों तथा चैम्बर को जो सहयोग प्राप्त हुआ वह अद्वितीय रहा। मोदी जी शायद पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने चारो सदनों लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद के माध्यम से बिहार और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि राज्य के व्यवसायी वैट की विसंगतियों से काफी परेशान थे परन्तु दिनांक 24 नवम्बर 2005 को राज्य में नई सरकार के गठन के तत्काल बाद दिनांक 20.12.2005 को राज्य सरकार की ओर से चैम्बर प्रांगण में वैट व्यापार पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें सुशील कुमार मोदी जी ने पूरे दिन बैठ कर जिलास्तर से आये विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और वैट की विसंगतियों को दूर कराया जिसे व्यवसायी आज भी याद करते हैं।

दिवंगत आत्मा की चिर स्थाई शांति हेतु दो मिनट का मौन रखकर प्रार्थना करते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं उनके शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरनीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

चैम्बर की ओर से कार्यक्रम में महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, कार्यकारणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद, श्री बिनोद कुमार, श्री अजय गुप्ता, श्री सुनील सराफ, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री राकेश कुमार, श्री राजेश माखरिया, श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री आलोक पोद्दार, श्री एम. पी. बिदासरिया, श्री जे. पी. तोदी, श्री उत्पल सेन, श्री एस. पी. सिन्हा, श्री अरुण कुमार, श्री अनिल कुमार माहेश्वरी, श्री अजय गोयनका, श्री अशोक कुमार, श्री राजा बाबू गुप्ता, श्री विष्णु अग्रवाल, श्री सुनील जैन सहित कई सदस्य सम्मिलित हुए।

लोकप्रिय नेता स्व. सुशील कुमार मोदी जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता, श्री बिनोद कुमार एवं अन्य।

लोकप्रिय नेता स्व. सुशील कुमार मोदी जी के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता एवं अन्य।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद तथा बिहार के लोकप्रिय नेता सुशील कुमार मोदी जी का असामयिक निधन 13 मई, 2024 को हो गया। उनके निधन से चैम्बर एवं व्यवसायी वर्ग काफी मर्माहत है। दिनांक 14 मई, 2024 को दिवंगत आत्मा की चिर स्थायी शांति हेतु चैम्बर प्रांगण में एक शोक सभा आयोजित हुई जिसमें दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरनीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की गयी।

स्व0 मोदी जी शायद पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने चारों सदनों लोक सभा, राज्य सभा, बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् के माध्यम से देश एवं बिहार के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नई कर प्रणाली GST के कार्यान्वयन में बतौर माननीय वित्त वाणिज्य–कर मंत्री स्व0 मोदी जी का जो सहयोग राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों विशेषकर चैम्बर के लिए रहा वह सदैव स्मरण रहेगा।

दधीचि देह दान समिति एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सहयोग से दिनांक 18 मई, 2024 को भी एक श्रद्धाजंलि सभा का आयोजन कर स्व0 मोदी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। **यों तो मोदी जी नहीं रहे परन्तु वे चैम्बर के सदस्यों एवं व्यवसायियों के दिल में सदैव बने रहेंगे।**

चैम्बर में जीएसटी पदाधिकारियों के साथ 'Interactive Meet" का आयोजन दिनांक 16 मई, 2024 को चैम्बर प्रांगण में किया गया जिसमें GSTR-1 के निर्धारित तिथि पर फाइलिंग नहीं होने से हो रही असुविधाओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। वाणिज्य–कर विभाग के अधिकारियों ने व्यवसायियों से अनुरोध किया कि GSTR-1 निर्धारित तिथि पर अपना रिटर्न फाइल करें क्योंकि इसके कारण बिहार रैंकिंग में देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी पिछड़ रहा है। **मेरा भी आप सभी बन्धुओं से आग्रह है कि बिहार के हित में GSTR-1 निर्धारित तिथि तक फाइल करें और बिहार के रैंकिंग को बेहतर बनाने में अपना सक्रिय सहयोग दें।**

21 मई, 2024 को श्रीमती निर्मला सीतारामण, माननीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री, भारत सरकार के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक काफी उपयोगी रही। विस्तृत रिपोर्ट इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

बिहार में अक्षय ऊर्जा (गैर परम्परागत बिजली) को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा की नयी नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ऊर्जा विभाग की कम्पनी बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (BREDA) द्वारा तैयार की गयी नीति को जल्द ही राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले पॉच वर्षों के लिए लागू कर दिया जायेगा। जानकारी के मुताबिक ब्रेडा ने पहली बार वर्ष 2017 में अक्षय ऊर्जा नीति तैयार की थी। चूंकि 2022 में उस नीति की अवधि समाप्त हो चुकी है, अभी वैकल्पिक व्यवस्था में पुरानी नीति को ही विस्तार दे दिया गया है। उसी समय अक्षय ऊर्जा को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नियमों के तहत कुल बिजली उत्पादन का 17 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा का होना अनिवार्य है। भारत सरकार को रिन्युएबल परचेज ऑब्लीगेशन (RPO) की बाध्यता है। ऐसा नहीं करने पर विनियामक आयोग को भुगतान करना पड़ता है। इसलिए ब्रेडा की ओर से अगले पॉच वर्षों के लिए ऐसी नीति तैयार की जा रही है, जिससे राज्य में अधिक से अधिक निवेश आ सके। केन्द्र सरकार के पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आलोक में भविष्य में इस क्षेत्र में काफी उम्मीदें हैं। सोलर क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की तरफ से भी सरकार से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।**

आरबीआई के केन्द्रीय निदेशक मंडल की पिछले दिनों 608वीं बैठक में वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए केन्द्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रूपये के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी है। यह केन्द्रीय बैंक की ओर से अब तक का सर्वाधिक लाभांश भुगतान होगा। यह चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा है। अंतरिम बजट में सरकार ने आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से कुल 1.02 लाख करोड़ रूपये की लाभांश आय का अनुमान जताया था।

बिहटा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए पिछले 8 वर्षों से प्रयास हो रहा है। यात्रियों के बढ़ते दबाव के आलोक में नये एयर पोर्ट के लिए राजधानी से सबसे निकट और उपयुक्त मानकर बिहटा वायु सेना केन्द्र को वर्ष 2015–16 में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना बनी थी। एयर पोर्ट ऑथोरिटी की मांगों के अनुरूप राज्य सरकार ने 108 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी फिर भी 8 एकड़ और जमीन के लिए एयरपोर्ट का काम रूका है। **राज्य सरकार से आग्रह है कि जमीन की यथाशीघ्र व्यवस्था करा दी जाये ताकि एयरपोर्ट निर्माण का कार्य मूर्त्त रूप ले सके।**

बन्धुओं, जब तक बुलेटीन की यह प्रति आपको प्राप्त होगी, तब तक लोकसभा के चुनाव का परिणाम आ चुका होगा और नयी सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी होगी। **सरकार जो भी आये, व्यापारी वर्ग को अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते रहना है।**

सादर

आपका

सुभाष पटवारी

स्व. सुशील कुमार मोदी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने हेतु दधीचि देह दान समिति एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद स्व. सुशील कुमार मोदी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद स्व. सुशील कुमार मोदी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

दधीचि देह दान समिति एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री स्व० सुनील कुमार मोदी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने हेतु बिहार चैम्बर प्रांगण में दिनांक 18 मई 2024 को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।

इस श्रद्धांजलि सभा में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं दधीचि देह दान समिति के पदाधिकारीगण एवं सदस्य सम्मिलित हुए और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर स्व० सुशील मोदी जी के परिजन भी उपस्थित थे।

श्रद्धांजलि सभा में स्व. सुशील कुमार मोदी जी के परिजन तथा दधीचि देह दान समिति एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

सभागार में उपस्थित स्व. सुशील कुमार मोदी जी के परिजन, दधीचि देह दान समिति एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

सभागार में उपस्थित स्व. सुशील कुमार मोदी जी के परिजन, दधीचि देह दान समिति एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

श्रीमती निर्मला सीतारामन, माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री की राज्य के व्यवसाइयों के साथ चैम्बर प्रांगण में बैठक

माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता।

माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण को अंगवस्त्र से सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं अन्य।

माननीय सांसद श्री दिलीप सैकिया का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर। साथ में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं श्री सुरेश रूंगटा।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में श्रीमती निर्मला सीतारामन, माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों से दिनांक 21 मई 2024 को मिलीं।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने मुख्य अतिथि एवं गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि आपको बता दूँ कि वर्तमान में वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदभार को सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं एवं पूर्व में आपने भारत के रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का भी दायित्व संभाला है। मैडम अर्थशास्त्री के साथ-साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप अपनी सेवाएं भी देश को प्रदान की है। यह काफी प्रसन्नता की बात है कि मैंडम निर्मला सीतारामण जी ने 1 फरवरी 2024 को लगातार छठा बजट पेश किया है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आगे कहा कि आज के अवसर पर चैम्बर कि ओर से वित्त मंत्री को राज्य के आर्थिक विकास से सम्बन्धित एक विस्तृत ज्ञापन दिया जायेगा जिसमें राज्य के औद्योगिक विकास पर बल दिया गया है।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने चैम्बर कि ओर से माननीया वित्त मंत्री को ज्ञापन समर्पित किया जिसमे कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य में ऋण देने में काफी उदासीन भावना रखते हैं क्योंकि अधिकतर बैंक के वरीय अधिकारी राज्य के बाहर से आते हैं जिनकी सोच नाकारात्मक होती है। इसी कारण राज्य में सीडी रेसियो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। सरकार को बैकों पर दबाव बढ़ाकर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहिए और

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, माननीय सांसद श्री दिलीप सैकिया एवं श्री सुरेश रूंगटा। दाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर। बाँयीं ओर माननीय सांसद श्री दिलीप सैकिया एवं श्री सुरेश रूंगटा।

कार्यक्रम को संबोधित करते माननीय सांसद श्री दिलीप सैकिया। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

कार्यक्रम को संबोधित करतीं माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण। उनकी बाँयीं ओर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं माननीय सांसद श्री दिलीप सैकिया। दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण को चैम्बर का प्रतीक चिह्न भेंट करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में माननीय सांसद श्री दिलीप सैकिया, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं मो. बहज़ाद करीम।

माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में माननीय सांसद श्री दिलीप सैकिया, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता एवं मो. बहज़ाद करीम।

चैम्बर की अभ्यागत पुस्तिका में अपना उद्‌गार अंकित करतीं श्रीमती निर्मला सीतारामण, माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, माननीय सांसद श्री दिलीप सैकिया, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता, श्री आशीष प्रसाद एवं श्री पवन भगत।

कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर के सदस्यगण एवं बिहार के विभिन्न चैम्बर एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण।

असहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बैंकों के कार्यों का मुल्यांकन होना चाहिए। कम-से-कम एक पब्लिक सेक्टर बैंक का मुख्यालय बिहार में स्थापित कराया जाना चाहिए। साथ ही बैंकों के निदेशक मंडल में बिहार के उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधि को भी रखा जाना चाहिए जिससे राज्य का प्रतिनिधित्व हो सके। बिहार में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर श्रीमती निर्मला सीतारामन, माननीया वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री ने कहा कि बिहार में औद्योगीकरण के लिए स्थानीय उद्यमियों को आगे आना होगा, यहाँ पर काफी सम्भावनाएँ हैं। इतिहास में कई क्षेत्रों में बिहार देश का नेतृत्व करता था, रक्षा एवं फर्मास्यूटिकल सेक्टर में भी काफी सम्भावनाएँ हैं।

कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्री गणेश कुमार खेतडीवाल, कार्यकारणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद, श्री अजय गुप्ता, श्री सुनील सराफ, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री शशि गोयल, श्री राकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री पवन भगत, श्री रवि गुप्ता एवं बिहार के चैम्बर एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में सम्मिलित हुए।

Memorandum (Brief) of Bihar Chamber of Commerce & Industries submitted to Hon'ble Finance and Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman on 21st May 2024 at Patna

1. Negative attitude of banks of Bihar :-

(i) Nationalized banks are quite indifferent in giving loans in the state because most of the senior officers of the banks come from outside the state and have negative thinking, that is why the CD Ratio in the state is much lower than the national average. This negative attitude needs to be changed. The government should increase the flow of credit in the state by increasing pressure on the banks and the work of the banks adopting non-cooperative attitude should be evaluated.

(ii) There are many public sector banks in the state and since the headquarters of all the banks are outside Bihar, they are indifferent towards the state, hence in this regard the headquarters of at least one public sector bank should be established in Bihar.

Representatives of industry and trade of Bihar should also be kept in the board of directors of banks so that the state can be represented.

2. Special incentives to promote industrialization in economically backward Bihar : -

The state government is ready to promote industrialization in the state with its resources but the pace of industrialization is very slow. Therefore, there is a need that to further accelerate the pace of industrialization in the state, provision of special incentives should be made by the Central Government so that big investors can be attracted to invest in Bihar. Along with the economic development of the state, industrialization will also help in reducing the problem of unemployment.

3. We are also submitting our details suggestions separately for your kind consideration relating to following :-

Industrialization in Bihar, Banking Facilities in Bihar, Direct Taxation, Indirect Taxation, Difficulties of Manufacturing Sector, Start up, Sustainability and Environment,Education Sector,Health Sector, Tourism Sector etc.

आयकरदाता खुद कंप्लायंस पोर्टल पर कर सकते हैं रिटर्न फीडबैक

इनकम टैक्स विभाग ने वार्षिक सूचना विचरण (एआइएस) से जुड़ी नयी सुविधा फीडबैक मैकेनिज्म की शुरूआत की है। आयकर विभाग का दावा है कि इससे टैक्सपेयर के वित्तीय लेन-देन के ब्योरे में पारदर्शिता आयेगी। आयकरदाता अपने लेन-देन का विवरण तो देख सकते थे, लेकिन इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। लेकिन अब फिडबैक दे सकते हैं।

इस संबंध में वरीय सीए राजेश खेतान ने बताया कि आयकर विभाग की ओर से इ-वेरिफिकेशन स्कीम 2021 के तहत करदाताओं को लगातार नोटिस जारी किये गये हैं। इसकी मुख्य वजह विभाग द्वारा विभिन्न स्रोतों द्वारा फाइल किये गये टीडीएस रिटर्न और कंप्लायंस पोर्टल पर फाइल किये गये एसएफटी से मिली जानकारी है।

इसके आधार पर करदाता के आयकर रिटर्न में दिखायी गयी आय से इसका मिलान करने पर यदि कोई कोई अंतर आता है तो करदाता को नोटिस भेज कर उसका जवाब मांगा जाता है और अगर कोई कर अवमानना का मामला सामने आता है तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाती है। ऐसे में करदाता के लिए आवश्यक है कि वे स्वत: कंप्लायंस पोर्टल पर जा कर उस जानकारी पर फीड़बैक दाखिल करें। खेतान ने बताया कि एआइएस के जरिये दी गयी आय की जानकारी को अब तक करदाता स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था। लेकिन अभी हाल ही में इनकम टैक्स विभाग द्वारा कंप्लायंस पोर्टल पर किये गये बदलाव के बाद एआइएस पर फीडबैक देने के बाद सूचना देने वाले ने अगर उस सूचना को अस्वीकार किया है तो उसके बाद सूचना देने वाले ने उसपर क्या एक्शन लिया है यह भी करदाता जान सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अगर करदाता एआइएस पर जानकारी को स्वीकार नहीं करता है तो उसपर सूचना देने वाले को विभाग द्वारा फीडबैक भेजे जाने की तिथि, किस तारीख को सूचना देने वाले ने उसपर एक्शन लिया और क्या एक्शन लिया यह भी टैक्सपेयर जान सकेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 20.5.2024)

चैम्बर द्वारा स्टेट जीएसटी पदाधिकारियों के साथ इंटरैक्टिव मीट आयोजित

बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः श्री संजय कुमार मावंडीया, अंकेक्षण विशेषज्ञ मुख्यालय, पटना, श्री अजय कुमार, राज्य कर अपर आयुक्त (प्र.), केन्द्रीय प्रमंडल एवं श्री रंजीत कुमार सिन्हा, राज्य कर अपर आयुक्त (प्र.), पटना पश्चिमी प्रमंडल। दाँयीं ओर पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन।

बैठक को संबोधित करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं अंकेक्षण विशेषज्ञ मुख्यालय, श्री संजय कुमार मावंडीया। दाँयीं ओर श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, महामंत्री।

जीएसटी के संबंध में जानकारी देते श्री संजय कुमार मावंडीया, अंकेक्षण विशेषज्ञ मुख्यालय। उनकी बाँयीं ओर श्री अजय कुमार, राज्य कर अपर आयुक्त (प्र.), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना तथा दाँयीं ओर श्री सुभाष पटवारी, अध्यक्ष, श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, महामंत्री एवं श्री सुबोध कुमार जैन, कोषाध्यक्ष।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से जीएसटी आर-1 के निर्धारित तिथि पर फाइलिंग नहीं होने से हो रही असुविधाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श हेतु स्टेट जीएसटी के अधिकारियों के साथ दिनांक 16 मई 2024 को एक इंटरैक्टिव मीट का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने वाणिज्य-कर अधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि वाणिज्य कर विभाग एवं व्यवसाइयों का अन्योनाश्रय सम्बन्ध है और राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक-दूसरे का सामंजस्य आवश्यक है।

वाणिज्य कर विभाग कि ओर से श्री संजय कुमार मावंडीया, अंकेक्षण विशेषज्ञ, मुख्यालय ने राज्य के व्यवसाइयों से अनुरोध किया कि जीएसटी आर-1 फाइलिंग के लिए निर्धारित तिथि पर सभी लोग अपना रिटर्न फाइल कर दें क्योंकि इसके कारण राज्य देश के रैंकिंग में पिछड़ रहा है। इस अवसर पर सीमा भारती, राज्य कर अपर आयुक्त ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तारपूर्वक बताया कि देश के अन्य राज्यों कि तुलना में समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने से बिहार कितना पिछड़ा है।

इस अवसर पर सदस्यों ने सुझाव दिया की आय कर की भांति रिटर्न फाइल करने के लिए मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाये, एसएमएस के माध्यम से करदाताओं को दिए जाने वाले सूचना के बदले व्हाट्सएप्प के माध्यम से सूचना दी जाये।

बैठक में श्री अजय कुमार, राज्य कर अपर आयुक्त (प्रसाशन), केन्द्रीय प्रमंडल, श्री रंजीत कुमार सिन्हा, राज्य कर अपर आयुक्त (प्रसाशन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, श्री अब्दुल्लाह अंसारी, राज्य कर अपर आयुक्त (प्रसाशन), पटना पूर्वी प्रमंडल, श्री एस. एम. ईरशाद आरिफ, राज्य कर संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय), एवं श्री अभीक अवतंस, राज्य कर संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) भी उपस्थित थे। चैम्बर की ओर से कार्यक्रम में महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री एन० के० ठाकुर, कार्यकारणी सदस्य श्री डी० बी० गुप्ता, श्री आशीष प्रसाद, श्री बिनोद कुमार, श्री सुनील सराफ, श्री राजेश खेतान, श्री राजेश जैन, श्री अभिजित वैद, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री अरुण कुमार, श्री संजय माखरिया, श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री आलोक पोद्दार, श्री एम. पी बिदासरिया सहित विभिन्न चौम्बर एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण सम्मिलित हुए।

चैम्बर अध्यक्ष बिहार विद्युत विनियामक आयोग की 'Electricity Supply Code Review Panel' की बैठक में शामिल हुए

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) की 'Electricity Supply Code Review Panel' बैठक दिनांक 10 मई, 2024 को BERC के ऑफिस में हुई।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं श्री संजय भरतिया शामिल हुए।

करदाता लेन-देन के विवरण पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे

आयकर विभाग ने वार्षिक सूचना विवरण से जुड़ी एक नई सुविधा की शुरूआत की है। विभाग का दावा है कि इससे करदाता के वित्तीय लेन-देन के ब्योरे में पारदर्शिता आएगी।

इसके जरिए करदाता किसी लेन-देन के बारे में अपनी सफाई था प्रतिक्रिया दे सकेगा। इसे फीडबैक मैकेनिज्म नाम दिया गया है। यह आयकर दाता के लिए फायदेमंद है। एआईएस यानी वार्षिक सूचना विवरण में करदाता के ऐसे सभी लेन-देन की जानकारी शामिल होती है, जिस पर कर देयता बन सकती है।

क्या है यह सुविधा : आयकर विभाग विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारियों के आधार पर वार्षिक सूचना विवरण तैयार करता है। अब तक करदाता अपने लेन-देन के विवरण तो देख सकता था। लेकिन, उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। अब नई व्यवस्था के तहत अगर करदाता को उस विवरण में किसी तरह की गड़बड़ दिखती है तो वह इस बारे में अपनी टिप्पणी दे सकता है।

पारदर्शिता में इजाफा होगा : करदाता अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद इस सुविधा के जरिए यह देख सकेगा कि उसकी टिप्पणी सूचना के स्रोत को भेजी गई है या नहीं। उसे यह भी पता चलेगा कि अगर टिप्पणी साझा की गई है तो उसे किस तारीख को साझा किया गया है। यह भी पता चलेगा कि स्रोत ने किस तारीख पर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस सुविधा से पारदर्शिता आएगी।

कैसे होगा एआईएस में दर्ज हुई मूल में सुधार : करदाता किसी लेन-देन पर प्रतिक्रिया देने के बाद उसके स्थिति को देख सकता है। उसकी प्रतिक्रिया वित्तीय लेन-देन करने वाले स्रोत के पास चली जाएगी। वह स्रोत आपकी टिप्पणी पर एक्शन लेगा। वह उसे या तो आंशिक रूप या पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकता है। वह इसे खारिज भी कर सकता है। अगर वह इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो वह अपनी जानकारी को सही करेगा। फिर वह सही विवरण आयकर विभाग को भेजेगा। इससे वार्षिक सूचना विवरण में दुरुस्त कर लिया जाएगा।

आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया ऐसे काम करेगी : इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले आयकर विभग के अनुपालन पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। अपने खास आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करने के बाद आपको वार्षिक सूचना विवरण सेक्शन में जाना होगा। वहाँ किसी स्रोत द्वारा दर्ज कराए गए लेन-देन के बारे में आपको आपत्ति है तो इस विवरण पर प्रतिक्रिया देने वाली सुविधा का इस्तेमाल करते हुए उस स्रोत की सूचना पर टिप्पणी दर्ज करनी होगी। इसके बाद उस लेन-देन के विवरण को दर्ज करने वाले स्रोत विशेष के साथ सूचना का आदान-प्रदान शुरू हो जाएगा और इसके बारे में जानकारी हासिल होगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.5.2024)**

राज्य जीएसटी ट्रिब्यूनल अब तक गठित नहीं, हजारों मामले लंबित

कई वर्षों तक फैसले नहीं होने से कारोबारियों की पूंजी फंसी रहती है

गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू हुए लगभग सात साल हो गये हैं। इन सात वर्षों में जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया जा सका। इस कारण से कारोबारियों और व्यापारियों को जीएसटी संबंधित विवाद के निबटारे के लिए हाइकोर्ट के शरण में जाना पड़ता है लेकिन वहाँ भी केवल अंतरिम राहत के बाद जीएसटी ट्रिब्यूनल में जाने का आदेश दिया जाता है। कई वर्षों तक फैसले नहीं होने से कारोबारियों की पूंजी फंसी रहती है। ट्रिब्यूनल का गठन नहीं होने से हजारों राजस्व से संबंधित मामले अभी लंबित हैं। हालांकि, केन्द्रीय जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित होने के बाद स्टेट जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित होने की संभावना बढ़ गयी है। राज्य जीएसटी कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि बिहार में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

क्या हो रही है परेशानी : जीएसटी के तहत कारोबारी पर टैक्स व जुर्माना लगाने पर उसे अपील करने का अधिकार है, सर्कल के अधिकारियों के फैसले के विरुद्ध एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर के पास अपील की जाती है। यदि कारोबारी इन अधिकारियों के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते है। राज्य जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं होने के कारण व्यापारियों को हाइकोर्ट में मामला में दर्ज करना पड़ता है। यह टाइम टेकिंग और खर्चीला प्रोसेस है।

स्थापित होगा जीएसटी ट्रिब्यूनल का एक बेंच : जीएसटी ट्रिब्यूनल स्थापित होने से इससे जुड़े विवाद सुलझाने में तेजी आयेगी। केन्द्र सरकार ने जीएसटी एपीलेट ट्रिब्युनल स्थापित करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार 28 राज्यों और आठ केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल की 31 राज्य पीठों की स्थापना की जायेगी। बिहार में ही एक पीठ स्थापित किया जायेगा। देश में सबसे अधिक ट्रिब्यूनल का बेंच उत्तर प्रदेश में स्थापित होना है। 2017 में गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स पूरे भारत से लागू किया गया था, लेकिन शिकायतों के निबटारे के लिए कोई उचित एपीलेट मैकेनिज्म नहीं बना था। **(साभार : प्रभात खबर, 10.5.2024)**

जीएसटी वसूली के लिए केन्द्र जबरदस्ती या धमकी का तरीका न अपनाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी की वसूली के लिए कारोबारियों के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान 'धमकी और जोर-जबरदस्ती' का दस्तेमाल न करने का केन्द्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें स्वेच्छा से बकाया चुकाने के लिए मनाया जाए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि जीएसटी कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अधिकारियों को बकाया राशि के भुगतान के लिए बल के इस्तेमाल का अधिकार देता हो। शीर्ष अदालत की यह पीठ जीएसटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का परीक्षण कर रही है। पीठ ने कहा, तलाशी और जब्ती के दौरान किसी भी व्यक्ति को कर देनदारी का भुगतान करने के लिए बाध्य करने की इस अधिनियम के तहत कोई शक्ति नहीं है। विभाग से कहें कि भुगतान स्वेच्छा से किया जाना चाहिए और किसी भी बल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। **(साभार : प्रभात खबर, 9.5.2024)**

World Association for Small & Medium Enterprises (WASME) द्वारा "International Conference on Enhancing MSME participation in Public procurement" में चैम्बर उपाध्यक्ष शामिल हुए

World Association for Small and Medium Enterprises (WASME) की ओर से होटल पनाश, पटना में दिनांक 27 मई, 2024 को "International Conference on Enhancing MSME participation in Public procurement" पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर शामिल हुए।

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए शुरू की नई सुविधा

एक क्लिक पर ही सभी कर नोटिस देख सकेंगे

आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर करदाताओं के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। इसकी मदद से एक ही क्लिक से करदाता की आयकर विभाग की ओर से भेजे गए सभी-नोटिस एक ही जगह मिल जाएंगे। यह सुविधा नए ई-प्रोसीडिंग सेक्शन में जोड़ी गई है।

ट्रैक करना आसान होगा : आयकर विभाग ने एफएक्यू (प्रश्नोत्तरी) जारी कर इस नए फीचर के बारे में बताया है। इसमें कहा गया है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-प्रोसीडिंग टैब में विभाग की ओर से जारी किए गए सभी नोटिस, इंटिमेशन और पत्रों को एक ही स्थान पर देखा जा सकता है।

नए टैब पर क्लिक करते ही सभी नोटिस और लंबित कर प्रक्रिया को करदाता ट्रैक कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन तरीके से जवाब दे सकते हैं। टैब में सर्च का विकल्प भी दिया गया है ताकि करदाता कोई खास नोटिस आसानी से खोज सके।

ऐसे देख पाएँगे : • आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगइन करें • डैशबोर्ड से 'पेंडिंग एक्शन' सेक्शन में जाएँ। यहाँ 'ई-प्रोसीडिंग' का विकल्प चुनें • यहाँ विलंबित कर प्रक्रिया और भेजे गए नोटिस के लिंक दिखाई देंगे • जवाब देने के लिए व्यक्तिगत या अधिकृत प्रतिनिधि का विकल्प चुनना होगा • यदि खुद से जवाब दे रहे हैं तो पूछे गए प्रश्नों को भरना होगा • अधिकृत प्रतिनिधियों को प्राधिकृत पत्र जमा करना होगा।

कब जारी होता है नोटिस : जब करदाता आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है या बैंक ब्याज, किराए या प्रॉपर्टी को बेचने से हुई आय समेत अन्य लेनदेन की जानकारी नहीं देता है, तब आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी किया जाता है। इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस साल नोटिस प्राप्त करने वाले करदाताओं को 30 जून तक स्पष्टीकरण दाखिल करना होगा।

इनका ब्योरा मिलेगा : • धारा 139 (9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस • धारा 245 के तहत सूचनाएँ • धारा 143 (1) (ए) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन • धारा 154 के सुओ मोटो सुधार • किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस • स्पष्टीकरण के लिए मांगी जाने वाली सूचनाएँ

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.5.2024)

कैपिटल गेन टैक्स की जटिलताएँ होंगी दूर

हाल में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार शार्ट और लांग टर्म कैपिटल गेन पर समान टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इस रिपोर्ट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी तरह से अफवाह बताया था। हालांकि, टैक्स विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कई चीजें अस्पष्ट और जटिल है। नई सरकार में इनको ज्यादा स्पष्ट और करदाताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि शेयर बाजार के अलावा म्यूचुअल फंड, प्रापर्टी की बिक्री, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर हस्तांतरण पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसमें कई जटिलताएँ हैं जिन्हें करदाता ठीक से समझ नहीं पाते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) को लेकर भी समस्याएँ आ रही हैं। बड़ी संख्या में टीडीएस को लेकर नोटिस आ रहे हैं।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.5.2024)

जानिए कैसे कर सकते हैं टैक्स रिजीम को स्विच

हर साल 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। सैलरीड क्लास के सभी लोगों को बीते हुए साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम का हिसाब देते हुए या तो उनका बक़ाया चुकाया जाता है, या फिर ज्यादा कट चुका टैक्स, वापस मांगा जाता है। दो साल पहले तक केवल एक ही टैक्स रिजीम हुआ करता था, मगर अब दो तरह के टैक्स रिजीम हैं। एक है- नया टैक्स रिजीम, दूसरा- ओल्ड टैक्स रिजीम सैलरी पाने वाले लोगों को हर वर्ष इनमें से एक को चुनना होता है। इसी चुनाव के हिसाब से नियोक्ता कर्मचारी का टैक्स काटता है। कुछ लोग नया टैक्स रिजीम चुनते हैं, तो कुछ लोग पुराना, लेकिन दिक्कत तब आती है, जब किसी ने गलती से दूसरा ऑप्शन चुन लिया हो, जैसे कि पुराना चुनना था, लेकिन चुन लिया नया, कई लोगों के साथ यह गड़बड़ी हो जाती है। आइए आज जाने कैसे इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं सॉल्व,

सैलरीड क्लास को हर साल रिजीम स्विच करने का मौका : • इनकम टैक्स भरने वालों में दो तरह के लोग होते हैं। एक बिजनेस क्लास और दूसरे सैलरीड क्लास, इन दोनों के लिए ही टैक्स रिजीम चुनने के ऑप्शन भी अलग-अलग होते है • बिजनेस से आय कमाने वाले लोगों को टैक्स रिजीम बदलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। एक साल में नहीं, बल्कि लाइफटाइम में वो केवल एक ही बार दोनों टैक्स रिजीम के बीच स्विच कर सकते हैं।

शेष पृष्ठ 10 पर

ट्रेनिंग प्रोग्राम • सिलाई-कटाई, कंप्यूटर, ब्यूटीशियन का 3 माह तक प्रशिक्षण: सर्टिफिकेट भी मिलता है

चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 10 साल में तीन हजार महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया

शहर की अलग-अलग संस्था और संगठन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें उद्यामिता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज भी इसी दिशा में पिछले 10 साल से काम कर रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सामाजिक दायित्व के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। अब तक करीब 3 हजार से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जाता है।

प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन 2014 में तत्कालीन अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने किया था। महिलाओं को प्रशिक्षण आधार महिला सहकारी समिति की डॉ. गीता जैन की देखरेख में दिया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को उस लायक बनाया जाता है कि वे खुद का कोई काम कर सकें। कोरोना काल में दो साल तक प्रशिक्षण केन्द्र बंद रहा। इस साल फिर से ट्रेनिंग शुरू की गई है। खासकर यहाँ महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण अवधि तीन माह की होती है, जिसमें सिलाई-कटाई, कंप्यूटर और ब्यूटीशियन की ट्रेनिंग शामिल है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुकेश जैन ने बताया कि 2013 में मैंने सपना देखा था, जो चैम्बर के सहयोग से 2014 में साकार हो सका। यहाँ प्रशिक्षण पाने के लिए पहले साक्षात्कार होता है। जो पास होती हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तीन महीने बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। आने वाले समय में टिकुली कला और सावन में मेंहदी कोर्स कराया जाएगा। प्रशिक्षण कार्य चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी की देखरेख में चल रहे हैं।

सिलाई-कटाई : किशोरियों एवं महिलाओं को दो बैचों में सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक बैच में 35 लोगों का प्रशिक्षण होता है। यह कोर्स हर दिन दो-दो घंटे का होता है। सभी प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा ली जाती है। इसके साथ ही बैग एवं सिलाई किट भी दी जाती है। यहाँ से पास होने वाली महिलाएं अपना काम शुरूकर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

कंप्यूटर प्रशिक्षण : आधुनिक युग में कंप्यूटर के क्षेत्र में लड़कियाँ भी आगे बढ़ें इसके लिए चैम्बर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उन्हें कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे रहा है। इस प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन 2015 में राजीव प्रताप रूडी ने किया था। यहाँ कंप्यूटर के ट्रेनिंग प्रतिदिन दो बैच में दी जा रही है। यह प्रशिक्षण दो घंटे का होता है।

ब्यूटीशियन ट्रेनिंग : प्रशिक्षण दो बैच में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रत्येक दिन दो घंटे का होता इसमें 30 महिलाएँ शामिल रहती हैं। साथ ही मेंहदी प्रशिक्षण 20 दिन, बैग बनाने का प्रशिक्षण एक माह और पोषण परिरक्षण सात दिन तक दिया जाता है। **(दैनिक भास्कर, 12.5.2024)**

पृष्ठ 9 का शेष

क्या तुरंत बदल सकते हैं रिजीम? : 1. इस नए वित्त वर्ष में यदि आप पुराने की जगह नया टैक्स रिजीम चुन बैठे हैं तो चिता करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस असेसमेंट ईयर का रिटर्न भर रहे होंगे, तब आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुन पाएँगे। 2. रही बात तुरंत टैक्स रिजीम बदलने की तो इस बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत कुछ आपकी कंपनी पर निर्भर करता है। कंपनी की पॉलिसी अगर ऐसी है कि आप तुरत बदल सकते हैं तो बदल पाएंगे। यदि कपनी की पॉलिसी इसे सपोर्ट नहीं करती तो नहीं। 3. अगर आपको तुरंत ही इसे बदलवाना है तो आप अपने एचआर से बात करके इसकी प्रोसेस जान सकते है। हो सकता है कि आपको आधिकारिक तौर पर ईमेल करके अपने और एचआर मैनेजर के अप्रूवल के बाद तुरंत ही रिजीम बदलने का अवसर भी मिल जाए।

डिफॉल्ट है नया टैक्स रिजीम : 2023 के बजट में नई टैक्स प्रणाली को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया है। अगर आप नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू में कोई भी ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो आपका टीडीएस नए रिजीम के हिसाब से ही कटेगा। इस बात को नोट कर लीजिए और उसे चुनते टाइम ध्यान रखें कि आपको कौन-सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है।

(Sourer : Inext. DJ, 8.5.2024)

रेरा : सेवाओं के शुल्क में पांच साल बाद हुआ बदलाव

आवेदन में सुधार या प्रमाणपत्र निर्गत करने पर दो हजार रुपये का लगेगा शुल्क

बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) में दिये गये आवेदन में किसी तरह का सुधार या प्रमाण-पत्र निर्गत करने को लेकर अब दो हजार रुपये का शुल्क लगेगा। यह राशि आवेदन में होने वाले प्रति सुधार के लिए देय होगी, बिहार रेरा ने कार्यालय स्तर पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के शुल्क में पाँच साल बाद बदलाव किया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे पहले जनवरी 2019 में विभिन्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, आवेदन दाखिल करने, लिखित बयान जमा करने, मामलों की बहाली, निरीक्षण आदि के लिए शुल्क का निर्धारण हुआ था।

दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लेने के लिए 100 रुपये प्रति पेज देना होगा शुल्क : बिहार रेरा के सचिव ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित फीस को संशोधित किया गया है। रेरा कार्यालय से दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए अब प्रति पेज 100 रुपये का शुल्क लगेगा। इसी तरह, लिखित बयान दाखिल करने के लिए प्रति पेज 200 रुपये, आवेदन / प्रत्युत्तर /

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा आम नागरिकों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था

प्रचंड गर्मी में आम नागरिकों के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा चैम्बर के मेन गेट के पास शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्था दिनांक 2 मई 2014 से की गयी है। इस पेयजल स्टॉल का उद्घाटन चैम्बर के महामंत्री श्री प्रशुपति नाथ पाण्डेय ने किया। पेयजल के साथ चना-गुड़ की भी व्यवस्था है।

महामंत्री ने कहा कि पूरी गर्मी तक पेयजल की व्यवस्था जारी रहेगी।

वकालतनामा दाखिल करने के लिए सुनवाई के दौरान प्रत्येक मामले के लिए 100 रुपये, केसों की पुनर्बहाली के लिए 1000 रुपये प्रति केस और केस फाइल निरीक्षण को लेकर 1000 रुपये प्रति केस फाइल निरीक्षण को 1000 रुपये प्रति केस फाइल की दर तय की गयी है।

प्रोजेक्ट निरीक्षण को लेकर पाँच से 15 हजार की दर तय : रेरा सचिव ने बताया है कि प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्रोजेक्टों के स्थल निरीक्षण को लेकर भी राशि निर्धारित कर दी गयी है। 30 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी प्रोजेक्ट के निरीक्षण को लेकर पाँच हजार रुपये, 30 से 60 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रोजेक्ट के निरीक्षण पर 10 हजार रुपये और 60 किलोमीटर के दायरे से परे किसी प्रोजेक्ट के निरीक्षण पर 15 हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि वाषिक और तिमाही आदि रिपोर्ट देर से जमा करने पर लगाये जाने वाले शुल्क को लेकर बाद में दर तय होगी।

(साभार : प्रभात खबर, 20.5.2024)

स्वीकृत मैप में संशोधन के लिए दो तिहाई आवंटियों की सहमति जरूरी

बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) से निबंधित किसी प्रोजेक्ट की पूर्णता समय सीमा बढ़ाने या स्वीकृत मैप (नक्शे) में किसी भी संशोधन के लिए अब दो तिहाई आवंटियों की सहमति जरूरी होगी। बिल्डरों को निर्धारित फॉर्मेट में रेरा को इसकी जानकारी देनी होगी। बिहार रेरा की नयी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) में यह प्रावधान लागू किये गये है।

आवंटियों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर कराएँ जमा : बिहार रेरा ने नोटिस जारी कर बताया है कि किसी रजिस्टर्ड परियोजना के विस्तार आवेदन की जाँच के दौरान सामान्यत: एक जैसी त्रुटियाँ पायी जा रही हैं। प्रोमोटर आवंटियों का सहमति पत्र जमा नहीं कराते। लेकिन, अब प्रोमोटरों को संबंधित परियोजना के दो तिहाई आवंटियों की सहमति लेनी होगी कि अगर फॉर्म बी के तहत परियोजन को विस्तारित किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। रेरा के मुताबिक परियोजना के रजिस्ट्रेशन के वक्त ही उसकी पूर्णता की तिथि निर्धारित कर दी जाती है। ऐसे में अगर परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पाती है तो पूर्णता तिथि के छह माह पहले ही प्रोमोटर को परियोजना तिथि के विस्तार से संबंधित आवेदन रेरा में जमा कराना होता है। लेकिन सामान्य तौर पर प्रमोटर पूर्णता अवधि समाप्त होने के बाद रेरा कार्यालय को सूचना देते हैं और उसमें भी आवंटियों की सहमति नहीं ली जाती है।

स्वीकृत मैप में बदलाव के लिए भी सहमति अनिवार्य : रेरा ने कहा है कि यदि प्रोमोटर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परियोजना के स्वीकृत मैप (नक्शे) में कोई महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं तो उनको इसी तरह की सहमति की आवश्यकता होगी। परियोजना परिसर की बची भूमि का उपयोग, बिल्डिंग फ्लोर बढ़ाना या ऐसे किसी मामले में धारा 14 (2) के तहत कम से कम दो तिहाई आवंटियों की सहमति अनिवार्य है।

नक्शा जमा कराने से पहले जाँच लें वैधता अवधि : रेरा ने प्रोमोटरों को रजिस्ट्रेशन के लिए नगरपालिका से स्वीकृत नक्शे को जमा कराने से पहले उसकी वैधता अवधि जाँच लेने की भी सलाह दी है। वर्तमान में रेरा के पास ऐसी कई शिकायतें आयी हैं, जिनमें देखा गया है कि प्रोमोटर वैध नक्शा जमा नहीं कराते। खास कर प्लानिंग व नन प्लानिंग एरिया से जुड़े क्षेत्रों में मुखिया से पास नक्शे की वैधता को लेकर काफी समस्याएँ आ रही है। पूर्व में कई प्रोमोटरों ने मुखिया से ही नक्शा पास करा लिया, जबकि इसके लिए राज्य सरकार ने बाद में संबंधित नगरपालिका के अधिकारी को सक्षम पदाधिकारी घोषित कर दिया। रेरा ने सलाह दी है कि प्रमोटर आवेदन से पहले ही ऐसे प्रोजेक्ट के स्वीकृत नक्शे की वैधता को लेकर स्पष्ट हो लें।

(साभार : प्रभात खबर, 7.5.2024)

चार साल से बंद रीगा चीनी मिल फिर होगी चालू, 27 मई को होगा इ ऑक्शन

करीब चार साल से बंद रीगा चीनी मिल के एक बार फिर शुरू होने की संभावनाएँ जगी हैं। इसके लिए इ ऑक्शन आमंत्रित किये गये हैं। इसकी रिजर्व प्राइज 91 करोड़ रखी गयी है। इ ऑक्शन 27 मई को किया जायेगा। सात मई तक इसके लिए आवेदन लिये जा चुके हैं। यह इ ऑक्शन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश पर निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार की रीगा चीनी मिल पिछले 2019-20 पेराई सत्र से ही बंद हैं। इसको चालू करने के लिए लगातार मांग की जाती रही है। रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी जिले में स्थित है। जानकारी के मुताबिक ऑक्सन के संदर्भ में एनसीएलटी ने लिक्विडेटर की नियुक्ति भी की है। यह ऑक्शन पर पूरी निगरानी रखेंगे। फिलहाल रीगा चीनी मिल के इ ऑक्शन में भागीदार लोगों में प्रत्येक को 25 मई तक 4.5 करोड़ रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी है।

(साभार : प्रभात खबर, 14.5.2024)

आयकर विभाग का नोटिस असली या नकली, ऐसे करें पहचान

हाल के महीनों में साइवर धोखाधड़ी की घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं। ठग इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए लाटरी। लकी ड्रा, विदेश से सामान आना इत्यादि तरीके अपनाते हैं। इन्हीं में एक तरीका है ई-मेल के जरिये इनकम टैक्स संबंधी नोटिस भेजना। कई मामलों में लोग ऐसे नोटिस पाकर परेशान हो जाते हैं

Commercial Taxes Department, Government of Bihar issued Notification No. S. O. 189 Dated 27th May 2024 notifies "Public Tech Platform for Frictionless Credit" as the system with which information may be shared by the common portal based on consent under sub-section (2) of Section 158A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12,2017). Published as under for information :

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1946 (श0)
(सं० पटना 475) पटना, सोमवार, 27 मई 2024

वाणिज्य कर विभाग
अधिसूचना 27 मई 2024

एस० ओ० 189, दिनांक 27 मई 2024 – बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 158 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर 'पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रेडिट को ऐसी प्रणाली के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिसके साथ बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) की धारा 158क की उपधारा (2) के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल पर सूचना को साझा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 'पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रेडिट' से उद्यम श्रेणी का एक ओपन आर्किटेचर सूचना प्रौद्योगिकी मंच अभिप्रेत है, जिसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2023 की "विकासकारी और विनियामक नीतियों पर कथन" पर उसके भाग के रूप में की गई है तथा इसका विकास उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा प्रत्यय के बृहत वातावरण में उसके प्रचालनों के लिए किया गया है, जिससे विभिन्न डाटा स्रोतों से डिजीटल रूप में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और जहां वित्तीय सेवा प्रदाता और बहुल डाटा सेवा प्रदाता मानक और प्रोटोकाल चलित आर्किटेक्चर, ओपन और साझा अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस (एपीआई) फ्रेमवर्क का उपयोग करते किसी मंच पर मिलते हैं, से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

[(सं० सं० बिक्री कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-16) 2397)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

और ठगों के झांसे में आ जाते हैं। यदि आपके पास भी आयकर विभाग के नोटिस संबंधी कोई ई-मेल आता है तो धबराएँ नहीं। सबसे पहले इस नोटिस की सत्यता की जाँच कर सकते हैं। आयकर विभाग के नोटिस की सत्यता जाँचने की प्रक्रिया को लेकर पढ़िए बिजनेस डेस्क की रिपोर्ट।

पूरी तरह से मुफ्त है यह सेवा : आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर नोटिस की सत्यता जाँचने संबंधी सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। कोई भी पंजीकृत करदाता इस सेवा का इस्तेमाल कर सकता है।

अपने डेशबोर्ड से भी कर सकते हैं जाँच : प्रत्येक करदाता को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक अकाउंट होता है। इसमें उस करदाता का डैशबोर्ड बना होता है। इसमें एक नोटिस सेक्शन होता है। यदि करदाता को आयकर विभाग की ओर से कोई नोटिस या समन या अन्य कोई सूचना भेजी गई है तो वह इस सेक्शन में जरूर दिखाई देगी। इससे आप यह पता कर सकते हैं कि आपको मिला नोटिस असली है या कोई आपके साथ ठगी का प्रयास कर रहा है।

ऐसे करें सत्यापन : • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https: /www.incometax.gov.in/iec/foporfal पर जाएँ • यहाँ क्विक लिंक्स पर विलक करें • इसके बाद आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस/आदेश सत्यापन लिंक पर क्लिक करें • यहाँ सत्यापन के लिए दो तरीकों में से एक का चयन करें • पहले तरीके में पैन के जरिये नोटिस का सत्यापन करें। इसमें पेन नंबर, सूचना का प्रकार (नोटिस, आदेश, आदि) आकलन वर्ष, नोटिस या आदेश जारी होने की तिथि और वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें • दूसरे तरीके में नोटिस में उपलब्ध प्रमाणपत्र पहचान नंबर और ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें • यदि नोटिस असली है तो तुरंत इसकी पुष्टि हो जाएगी। यदि किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है तो नोटिस नकली है और इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

नोट : यहाँ पर केवल नोटिस या आदेश की पुष्टि की जाएगी। यह नोटिस या आदेश किस संबंध में जारी किया गया। उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 21.5.2024)**

विकसित भारत के ब्लूप्रिंट में शामिल होगा बिहार का विजन डॉक्यूमेंट

विकसित भारत बनाने के लिए तैयार होने वाले ब्लूप्रिंट में बिहार भी मदद करेगा। बिहार इसको लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और इसके माध्यम से केन्द्र सरकार को अपने सुझाव देगा। इसके माध्यम से बिहार बताएगा कि कैसे भारत वर्ष 2047 तक विकसित देश बन सकता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। जून के बाद केन्द्र को बिहार अपना विजन डॉक्यूमेंट सौंपेगा।

दरअसल, वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की योजना पर नीति आयोग ने राज्यों से सुझाव मांगा है। आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार को भेजे पत्र में लिखा है कि, राज्य विकसित राष्ट्र बनाने में किस प्रकार मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए राज्य सरकार अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर आयोग को दे। आयोग ने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट में मुख्य रूप से आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रगति और सुशासन जैसे विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाए। नीति आयोग से पत्र आने के बाद बिहार सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। योजना एवं विकास विभाग को इसके लिये नोडल विभाग बनाया गया है। उधर, योजना एवं विकास विभाग ने इसके लिये अन्य विभागों से भी सुझाव मांगा है।

बिहार मॉडल का होगा समावेश : बिहार द्वारा सौंपे जाने वाले विजन डॉक्यूमेंट में नीतीश सरकार के सुशासन मॉडल को आधार बनाया जाएगा। बिहार ने जिन-जिन क्षेत्रों में बेहतर किया है, उसका जिक्र इस विजन डॉक्यूमेंट में किया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.5.2024)**

सामान विदेश भेजना हुआ आसान, करा लें पंजीयन

डाक घर निर्यात केन्द्र सेवा का महत्व काफी बढ़ गया है। इसके माध्यम से कोई भी निर्यातक अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचा सकता है। निर्यातक को अपनी वस्तुओं-उत्पादों को विदेशों तक पहुँचाने के लिए सभी सुविधाएँ एक छत के नीचे उपलब्ध होंगी। ये बातें बिहार डाक परिमंडल के मुख्य महाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहीं। वह बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक में उद्यमियों व निर्यातकों को संबोधित कर रहे थे। कहा कि आपके बनाए उत्पादों को विदेश भेजना आसान हो गया है। इसके लिए केवल आपको डाकघर निर्यात केन्द्र (डीएनके) सेवा के तहत पंजीयन करवाना है। इसके बाद की जवाबदेही डाकघर उठाएगा। वह आपके उत्पाद को आपके घर से विदेश तक भेजेगा। इस बैठक की मेजबानी खादी ग्रामोघोग के सीईओ दिलीप कुमार ने की। कार्यक्रम में ग्रामोद्योग बोर्ड के सहायक लेखा पदाधिकारी प्रदीप कुमार, प्रबंधक रमेश कुमार, वरिष्ठ डाक अधीक्षक राजदेव प्रसाद, निदेशक डाक सेवाएँ पवन कुमार आदि भी थे। **(दैनिक जागरण, 9.5.2024)**

सूबे में दाखिल खारिज बिना भी होगी रजिस्ट्री, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बगैर जमाबंदी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितम्बर में तय की है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खण्ड पीठ ने समीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी (सिविल) पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा, अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा एवं अंजुल द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन किया। संशोधन कर एक नया नियम जोड़ा गया, जिसके तहत जमीन की खरीद-बिक्री और दान तभी हो सकता है, जब जमीन बेचने वाले व दान देने वाले के नाम से जमाबन्दी या होल्डिंग कायम हो।

निबंधन नियमावली में इस संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारी को अचल संपत्ति की बिक्री या दान के लिए पेश दस्तावेज का निबंधन कराने के पूर्व उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीन बेचने या फिर इसका दान करने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम है या नहीं। ऐसा नहीं होने पर निबंधन नहीं होगा। बीते 9 फरवरी को निबंधन नियमावली में संशोधन को याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने अपने 21 पन्ने के फैसला में संशोधन को सही करार देते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद संशोधन पर लगायी गयी रोक स्वत: निरस्त हो गयी। (साभार : हिन्दुस्तान, 14.5.2024)

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और डीएम को दिया आदेश

दाखिल खारिज के आवेदन बिना पक्ष जाने रद्द नहीं होंगे

• समी सीओ को भी आदेश के अनुपालन और इसी आधार पर समीक्षा का निर्देश • 7.44 लाख आवेदन लंबित पड़े हैं दाखिल खारिज के प्रदेश में

अब दाखिल खारिज के किसी आवेदन को अंचल स्तर पर एक बार में सीधे अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। इसे अस्वीकृत करने से पहले आवेदक से उसका पक्ष जानना होगा। बिना मामले की सुनवाई किए कोई अंचलाधिकारी (सीओ) या राजस्व अधिकारी सिर्फ कारण लिखकर इसे अस्वीकृत नहीं कर पाएँगे। इससे संबंधित आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किया है।

विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र लिखा है। जिला स्तर पर इस आदेश का पालन अनिवार्य रूप से सीओ और राजस्व अधिकारी से कराने के लिए उन्हें खासतौर से कहा गया है। सभी सीओ से भी कहा गया है कि वे इस आदेश का अनुपालन करें और इसके आधार पर ही स्थिति की समीक्षा करें।

ठोस कारण बताना होगा : आदेश में कहा गया है कि दाखिल -खारिज का आवेदन अगर एक बार अस्वीकृत हो जाता है, तो आवेदक को इसकी अपील भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में करनी पड़ती है। जबकि, कई बार कोई दस्तावेज अपठनीय रहने या प्रासंगिक दस्तावेज छूट जाने के कारण भी आवेदन में आपत्तियाँ लगाई जा सकती हैं। यानी छोटे-मोटे या बिना किसी ठोस कारण के आवेदन को अस्वीकृत नहीं करेंगे। अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि अंचल स्तरीय अधिकारी बिना आवेदक का पक्ष जाने आपत्ति लगा कर आवेदन अस्वीकृत कर देते हैं। प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि किसी भी मामले को अस्वीकृत करने से पहले संबंधित याचिकाकर्ता को आपत्ति की सूचना देते हुए उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

अंचलों में लाखों आवेदन लंबित : पूरे राज्य में दाखिल खारिज के 7.44 लाख आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, गया, समस्तीपुर, सहरसा, रोहतास, पूर्णिया, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिम चंपारण, सारण, नवादा, किशनगंज, भोजपुर, भागलपुर समेत अन्य जिलों में लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है।

जिम्मेदारी तय : दाखिल-खारिज अधिनियम के अनुसार, यदि अंचल अधिकारी, कर्मचारी और अंचल निरीक्षक जमीन के दस्तावेज की जाँच से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह इसकी जाँच कर अपना निष्कर्ष लिखेंगे। इसके बाद संबंधित पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर दस्तावेज अधूरे या गलत पाए जाते हैं, तो सीओ सभी संबंधित आधार का उल्लेख करते हुए किसी आवेदन को अस्वीकृत करेंगे।

नोटिस जरूरी : किसी आवेदन में कर्मचारी के स्तर से या अन्य किसी माध्यम से कोई आपत्ति प्राप्त होती है या अस्वीकृति की स्थिति बनती है, तो पहले आवेदक को नोटिस देकर प्रासंगिक आपत्ति से अवगत कराएंगे और उन्हें अपने पक्ष रखने का मौका देंगे। सुनवाई के बाद अगर पूरा मामला सही पाया जाता है, तभी इसे अस्वीकृत किया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.5.2024)

दनियावां-जटडुमरी नए रेलखंड पर जुलाई से चलेंगी डेमू पैसेंजर

नवनिर्मित 23 किमी लंबे दनियावां-जटडुमरी रेलखंड का अभी विद्युतीकरण नहीं हो सका है। इसलिए फिलहाल इस रेलखण्ड पर डीजल वाली डेमू पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड से अनुमति मांगी जाएगी। जुलाई से डेमू पैसेंजर चलने की संभावना है। शुरुआत में अप-डाउन में दो-दो डेमू पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। पूर्वी सर्किल के संरक्षा आयुक्त ने दानापुर मंडल की 42 किमी लंबी नेउरा-दनियावां नई रेललाइन परियोजना के तहत नवनिर्मित दनियावां-जटडुमरी रेलखंड का निरीक्षण किया था। 128 किमी की रफ्तार से ट्रायल भी किया गया था। अब जटडुमरी से नेउरा तक ट्रैक बिछेगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन के लिए अगस्त से विद्युतीकरण का काम होगा। 10 जून के बाद इसके लिए सर्वे होगा। जुलाई में टेंडर प्रक्रिया शुरू होगा। अगस्त में एजेंसी का चयन करके एग्रीमेंट होगा। जटडुमरी से नेउरा तक करीब 18 किमी ट्रैक निर्माण के साथ-साथ विद्युतीकरण भी होगा। छह माह के अंदर विद्युतीकरण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

दानापुर-झाझा लाइन का बनेगी विकल्प : यह परियोजना नेउरा-दनियावां-बिहारशरीफ-बरबीघा-शेखपुरा नई लाइन का एक हिस्सा है। यह लाइन इस इलाके के लोगों को सुविधा देने के साथ दानापुर-पटना- किउल-झाझा मुख्य लाइन की बाइपास लाइन के तौर पर कार्य करेगी जो अत्यधिक भीड़भाड़ वाला रेलखण्ड है।

इस रेललाइन के फायदे : • पटना जंक्शन पर पूरब की तरफ जानेवाली पैसेंजर ट्रेनों का दबाव कम होगा • बाइपास से दक्षिण रहने वाले लोगों को सुविधा होगी। नवादा, बिहारशरीफ, दनियावां तरफ जाने वाले यात्रियों को जटडुमरी जंक्शन पर ट्रेन मिल जाएगी। पटना जंक्शन नहीं आना पड़ेगा • किसी कारणवश पटना-किऊल लाइन बाधित रही तो ट्रेनें जटडुमरी-दनियावाँ लाइन से निकल सकेंगी। (साभार : दैनिक भास्कर, 9.5.2024)

बिहार के पहले एक्सप्रेस-वे का काम बरसात के बाद होगा शुरू

छह व आठ लेन का होगा गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

• 8 जिलों (बिहार में) से गुजरेगी यह सड़क • 416 किलोमीटर लंबाई होगी सड़क की • 32 हजार करोड़ रुपये अनुमानित लागत

बिहार में पाँच एक्सप्रेस बनने वाले हैं। इनमें से तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेववे की निर्माण प्रक्रिया इस साल बरसात के बाद शुरू होगी। यह छह और आठ लेन का बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें नाममात्र के एंट्री प्वाइंट होंगे। यह सड़क सीधी होगी। इससे वाहनों की औसत रफ्तार सामान्य सड़कों से अधिक होगी। यह सड़क बिहार के आठ

जिलों से करीब 416 किमी लंबाई में गुजरेगी। इन आठ जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला शामिल हैं। फिलहाल इस सड़क के निर्माण के लिए सर्वे हो चुका है। जमीन अधिग्रहण पूरा होने के बाद टेंडर के माध्यम से निर्माण एजेंसी का चयन होगा। इसकी अनुमानित लागत करीब 32 हजार करोड़ रुपये है।

सामरिक नजरिये से भी महत्वपूर्ण है सड़क : नेपाल की सीमा के करीब बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का सामरिक नजरिए से भी बहुत महत्व है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में 84.3 किमी., बिहार में 416.2 किमी और पश्चिम बंगाल में 18.97 किमी लंबाई में बनेगा। इसकी शुरूआत गोरखपुर के जगदीशपुर से होगी और कुशीनगर के तमुखीराज तहसील से बिहार के गोपालगंज में यह प्रवेश करेगा। बिहार में इस सड़क का सबसे अधिक हिस्सा 94 किमी लंबाई में मधुबनी जिले में है। वही, पश्चिम चंपारण जिले में 33.4 किमी, पूर्वी चंपारण में 72.5 किमी, शिवहर में 24.8 किमी, सीतामढ़ी में 42.7 किमी, सुपौल में 37 किमी, अररिया में 48.5 किमी और किशनगंज में 63.2 किमी सड़क बनेगी। यह एक्सप्रेसवे आबादी वाले क्षेत्रों से नहीं गुजरेगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने के चलते इसके आसपास और बीच में पेड़-पौधे होंगे।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 3.5.2024)

पांच लिफ्ट और एस्केलेटर वाले फुटओवरब्रिज के लिए जगह तय

पथ निर्माण विभाग ने प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा

पटना शहर के पाँच अलग-अलग जगहों पर लिफ्ट व एस्केलेटर युक्त फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। इसमें तीन जगहों पर लिफ्ट और दो स्थानों पर एस्केलेटर वाले एफओबी का निर्माण होगा। वहीं रुकनपुरा और वीमेंस कॉलेज के पास पहले से बने फुट ओवरब्रिज में लिफ्ट लगाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने प्राक्कलन तैयार करने के बाद राशि की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेज दिया है। राशि की मंजूरी मिलते ही निविदा जारी कर ही जाएगी।

भूतनाथ मोड़, मौर्यलोक कॉम्प्लेक्स व सगुना मोड़ के आगे दानापुर स्टेशन मार्ग में संत कैरेंस स्कूल के समीप लिफ्ट युक्त एफओबी का निर्माण होगा। वहीं पुनाईचक मोड़ और चिड़ियाघर के गेट नंबर-1 के समीप एस्केलेटर युक्त एफओबी बनेगा। 4.92 करोड़ से एस्केलेटर और 4.5 करोड़ से लिफ्ट युक्त एफओबी बनना है। वहीं दो पुराने एफओबी 1.15 करोड़ से लिफ्ट लगाया जाएगा। एफओबी में लगने वाले लिफ्ट में एक साथ 10 से 14 लोग सवार हो सकेंगे। वीमेंस कॉलेज और रुकनपुरा के समीप पहले से फुट ओवरब्रिज बना हुआ है।

शहर के पाँच महत्वपूर्ण स्थानों पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण होने से सड़क दुर्घटना पर बहुत हद तक अंकुश लगेगा। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 10.5.2024)

राजधानी से राज्य के पर्यटन स्थलों की सैर को स्पेशल टूर पैकेज जारी

आने-जाने, रहने-खाने की भी सुविधा होगी, गाड़ी का ऑप्शन होगा

पर्यटन निगम ने पटना के लोगों को राज्य के पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए स्पेशल दूर पैकेज तैयार किया है। लोग राजगीर, नालंदा, बोधगया, पावापुरी, वाल्मीकिनगर, वैशाली, सासाराम, कैमूर सहित 20 से आने-जाने के साथ खाना, कॉफी, नाश्ता, होटल और पर्यटन स्थल का शुल्क पैकेज में शामिल है। ट्रेवलर, इनोवा इटियोस कार सहित अन्य गाड़ियों से आने-जाने की सुविधा मिलेगी। पर्यटन निगम के मुख्यालय दारोगा राय पथ स्थित सिख हेरिटेज में टूर पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग के समय गाड़ी का ऑप्शन दिया जाएगा। गाड़ी के अनुसार शुल्क में थोड़ा बदलाव होगा। पटना दर्शन के लिए अलग से स्पेशल टूर पैकेज बनाया गया है। प्रति व्यक्ति शुल्क दो हजार है।

• बोधगया-राजगीर-नालंदा (दो रात, तीन दिन) : 20 हजार रुपए • नालंदा-पावापुरी-राजगीर (दो रात, तीन दिन) : 23,500 रुपए • बेतिया-वाल्मीकिनगर-केसरिया-वैशाली (दो रात, तीन दिन) : 11,500 रुपए • सासाराम-कैमूर (एक रात, दो दिन) : 7 हजार रुपए • बराबर पहाड़-गया-बोधगया (एक रात, दो दिन) : 8,500 रुपए • बोधगया-राजगीर-नालंदा (पाँच रात, छह दिन) : 48,500 रुपए • बांका-मंदार पर्वत-भागलपुर (तीन रात, चार दिन) : 25,500 रुपए • औरंगाबाद-सासाराम-भभुआ-रोहतास (दो रात, तीन दिन) : 10 हजार रुपए • वैशाली-मोतिहारी-बोतिया (तीन रात, चार दिन) : 16 हजार रुपए

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.5.2024)

पटना में सिटी बसों का और नंबर

- 111 : गाँधी मैदान से दानापुर बस स्टैंड
- 111 : गाँधी मैदान से दानापुर रेलवे स्टेशन
- 222 : गाँधी मैदान से फुलवारी
- 333 : गाँधी मैदान से पटना विश्वविद्यालय
- 444 : गाँधी मैदान से हाजीपुर रेलवे स्टेशन
- 555 : गाँधी मैदान से पटना साहिब रेलवे स्टेशन
- 666 : गाँधी मैदान से दानापुर (हांडी साहिब)
- 888 : गाँधी मैदान से बिहटा (आईआईटी)
- 888ए : गाँधी मैदान से बिहटा (ईएसआई हॉस्पिटल)
- 999 : सगुना मोड़ से मनेर शरीफ
- 500 : इनकम टैक्स से कुर्जी मोड़
- 777 : गाँधी मैदान से बिहारशरीफ

(साभार : दैनिक भास्कर, 20.5.2024)

पीड़ित परिवार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश

टिकट रहने पर ही ट्रेन हादसे में मृतक के परिवार को मुआवजा

• न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडेय की एकलपीठ ने दिया आदेश

• मृतक को वास्तविक यात्री नहीं मान आवेदन को खारिज कर दिया

कोई भी यात्री चलती ट्रेन से गिर जाने पर वह मुआवजे का तभी हकदार होगा, जब उसके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकता।

हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार के सदस्यों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि का भुगतान तभी हो सकता है, जब यात्री के पास रेल टिकट हो। न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडेय की एकलपीठ ने रेलवे न्यायाधिकरण की ओर से दिए दो अलग-अलग मामलों पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया।

न्यायाधिकरण के फैसले पर लगाई मुहर : पटना से अथमलगोला स्पेशल ईएमयू ट्रेन को पकड़ने के दौरान बख्तियारपुर स्टेशन पर पानी लेने के लिए एक यात्री ट्रेन से नीचे उतरा पर भीड़ इतनी अधिक हो गई कि वह वापस ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गया। यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई पर इस मामले में रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने रेल टिकट नहीं पेश किए जाने पर परिजन के मुआवाजे के दावे को खारिज कर दिया। मामला हाईकोर्ट भी पहुँचा पर रेल टिकट नहीं होने से न्यायाधिकरण के फैसले पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.5.2024)

आधार कार्ड बिना पीएफ से पैसे निकाल सकेंगे नॉमिनी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दावा निपटान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। संगठन ने उन मामलों में राहत दी है, जिनमें ईपीएफओ सदस्य का निधन हो गया है और उनका आधार विवरण पीएफ खाते से लिंक नहीं है या जानकारियों का मिलान यूएएन से नहीं हो रहा है। अब इनके

नॉमिनी / दावेदार आधार विवरण के बिना भी पीएफ खाते की रकम पा सकेंगे।

ईपीएफओ ने इस संबंध में हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक, ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के मामले में क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को जोड़ने और उनका सत्यापन करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करने में विलंब हो रहा था।

नॉमिनी का आधार जमा करने की अनुमति मिलेगी : यदि आधार विवरण दर्ज किए बिना किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति का आधार विवरण सिस्टम में सहेजा जाएगा और उसे हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाएगी।

वहीं, ऐसे मामलों, जहाँ मृत सदस्य ने नॉमिनी नहीं बनाया हो, वहाँ परिवार के सदस्यों और कानूनी उत्तराधिकारियों में से किसी एक को अपना आधार जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

यहाँ लागू होगा नियम : यह नियम उन मामलों पर लागू होंगे जहाँ सदस्य का विवरण ईपीएफ यूएएन में सही है, लेकिन आधार डाटा में गलत है। वहीं, अगर आधार में विवरण सही है लेकिन यूएएन में गलत है तो नॉमिनी को इसके लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी देंगे इसके लिए मंजूरी : ईपीएफओं के अनुसार, चूँकि सदस्य की मृत्यु के बाद आधार विवरण को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब सभी मृत्यु मामलों में आधार को जोड़े बिना भौतिक आधार पर दावा सत्यापन को मंजूरी दे दी गई है। यह केवल क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। यही नहीं ऐसे मामलों में घोखाधड़ी रोकने के लिए मृतक की सदस्यता और दावेदारों की जाँच भी की जाएगी।

यहाँ होती थी दिक्कत : 1. आधार में गलत / आधा अधूरा विवरण या आधार में अन्य तकनीकी दिक्कतें 2. लंबे वक्त तक आधार संख्या का निष्क्रिय होना, जिससे विवरण अपडेट न होना 3. आधार का ईपीएफओ के यूएएन खाते में दर्ज विवरण से मिलान न होना 4. सदस्य द्वारा पीएफ खाते में नॉमिनी दर्ज न करना, इससे दावा निपटान में दिक्कत।

(साभार : हिन्दुस्तान, 20.5.2024)

लर्निंग लाइसेंस : अक्टूबर से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन और टेस्ट

राज्य के लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अक्टूबर से ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी। घर बैठे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर टेस्ट दे सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने, आवश्यक दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करने और ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद एम परिवहन और परिवहन विभाग की वेबसाइट पर टेस्ट के लिए लिंक दिया जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। टेस्ट में 15 प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रत्येक के लिए 4 विकल्प रहेंगे। उत्तीर्ण होने के लिए नौ सवाल का जवाब सही होना जरूरी होगा। टेस्ट देते समय किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए और स्क्रीन पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए। अन्य व्यक्ति के दिखाई देने पर नकल मानकर आवेदन निरस्त होगा। फीस वापस नहीं होगी। ऑनलाइन परीक्षा में पास होने पर लर्निंग लाइसेंस जारी हो जाएगा। इसका लिंक मोबाइल पर भेजा जाएगा। इसके माध्यम से आवेदक लाइसेंस डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकेगा। अभी स्लॉट बुक करने के बाद डीटीओ कार्यालय में जाकर कंप्यूटर पर टेस्ट देना होता है। स्लॉट पर दिए गए समय के अनुसार पहुँचना होता है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 3.5.2024)**

स्वास्थ्य बीमा लेते समय प्रस्ताव फॉर्म खुद भरें वरना दावा रद्द होगा

गंभीर बीमारियों के इलाज या आकस्मिक खर्चो की भरपाई के लिए लोग स्वास्थ्य बीमा लेते हैं लेकिन कई बार कंपनियाँ क्लेम को खारिज कर देती हैं। इसका कारण होता है कि बहुत से लोग बीमा खरीदते समय पहले से मौजूद अपनी बीमारी का खुलासा नहीं करते हैं। इसके लिए प्रस्ताव (प्रपोजल) फॉर्म भरना जरूरी होता है। यदि बीमाधारक इससे चूक जाता है तो उसका क्लेम बीमा कंपनी खारिज कर सकती है। इसलिए पॉलिसी लेते समय इस फॉर्म को खुद अनिवार्य रूप से भरना चाहिए।

1. **फॉर्म को खुद भरें :** विशेष ध्यान रखें कि प्रपोजल फॉर्म खुद भरें। इसे किसी और से न भरवाएँ, ना ही अन्य को भरने दें।
2. **कोई कॉलम खाली न छोड़ें :** फॉर्म को पूरी तरह से और सही जानकारियों के साथ भरें। कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें।
3. **सभी सवालों को समझें :** यह सुनिश्चित करें कि पूछे गए सवालों को सही ढंग से समझा है। इसकी घोषणा फॉर्म में करनी होगी।
4. **कोई जानकारी न छिपाएँ :** बीमा खरीदते समय किसी भी जानकारी या तथ्य को छिपाएँ नहीं। ऐसा करने से बीमा का दावा करते समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
5. **एक प्रति अपने पास रखें :** हस्ताक्षर किए गए फॉर्म की एक प्रति अपने पास जरूर रखें। यह कंपनी के साथ सहमति का रिकॉर्ड है।
6. **फोन नंबर जरूर जोड़ें :** अपना फोन नंबर बीमा कंपनी के साथ पंजीकृत करें। दावा खारिज होने पर संदेश आप तक पहुँच जाएगा।
7. **कवरेज जरूर जांचें :** यह भी देखें कि पोलिसी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और गंभीर बीमारियों को कवर करती है या नहीं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 20.5.2024)

आधर-पैन केवाईसी नियम हुए आसान

म्युचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने एमएफ ट्रांजेक्शन के लिए 'केवाईसी-रजिस्टर्ड' स्टेटस पाने के लिए पैन को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता हटा दी है।

क्या है केवाईसी : 'नो योर क्लाइंट' (केवाईसी) बैंकों, फंड हाउसों और स्टॉक ब्रोकरों के लिए किसी निवेशक के लिए निवेश शुरू करने से पहले उनकी पहचान की पुष्टि के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि निवेश इकाइयाँ अपने ग्राहक को अच्छी तरह से समझे और धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियाँ रोकी जा सकें।

केवाईसी प्रक्रिया में बदलाव : अक्टूबर 2023 में, सेबी ने यह अनिवार्य बना दिया था कि सभी म्युचुअल फंड निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने पैन 31 मार्च 2024 तक आधार से जोड़ने होंगे। यदि पैन और आधार लिंक नहीं किए गए तो केवाईसी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी और निवेश गतिविधि रुक जाएगी। इसके अलावा, केवाईसी को बैंक पासबुक या एड्रेस प्रूफ के तौर पर अकाउंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर पूरा किया जा सकेगा। हालांकि, इन बदलावों के कारण कई म्युचुअल फंड खातों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। कथित तौर पर इस मुद्दे ने 1.3 लाख से ज्यादा उन खातों को प्रभावित किया जिनमें केवाईसी अपडेट अधूरे थे।

कारण लोगों ने शुरूआती केवाईसी पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान गैर-आधार और गैर-आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) सौंपे। अब 14 मई को जारी संशोधित सर्कुलर में , सेबी ने इन नियमों को आसान बनाया है। निवेशकों को 'केवाईसी-रजिस्टर्ड' स्टेटस पाने के लिए अपने पैन को आधार के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। यह कार्य अब अन्य आधिकारिक वैध दस्तावेजों (ओवीडी) जैसे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड आदि के साथ केवाईसी पूरी कर किया जा सकेगा।

पुराना नियम : निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की जरूरत थी। ऐसा किए बगैर, केवाईसी प्रक्रिया अधूरी थी।

नया नियम : 14 मई से अब किसी निवेशक को 'केवाईसी-रजिस्टर्ड' स्टेटस प्राप्त करने के लिए पैन और आधार को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। निवेशक अन्य आधिकारिक वैध दस्तावेजों (ओवीडी) जैसे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड के साथ केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

हालांकि केवाईसी-वैलिडेटेड' स्टेटस जानने के लिए पैन और आधार को अभी भी लिंक करना होगा।

सेबी का जोखिम प्रबंधन ढांचा : सेबी के जोखिम प्रबंधन ढांचे के हिस्से के रूप में, केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) को सूचना प्राप्त होने के दो दिन के अंदर सभी ग्राहकों के रिकॉर्ड की तीन विशेषताओं को सत्यापित करना था- पैन, नाम, पता। हालांकि 14 मई के सर्कुलर में पैन और आधार लिंक जानने को जरूरत को समाप्त कर दिया गया है।

निवेशक अपना एमएफ केवाईसी दर्जा कैसे पता कर सकता है? : आप सीवीएलकेआरएडॉटकॉम पर जा सकते हैं और अपने मौजूदा एमएफ केवाईसी का दर्जा जानने के लिए 'केवाईसी इनक्वायरी' पर क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने तीन विकल्प आएँगे: ऑन-होल्ड केवाईसी स्टेटस: ऑन-होल्ड केवाईसी स्टेटस वाले निवेशक किसी तरह का म्युचुअल फंड लेन-देन नहीं कर सकते हैं, चाहे वह एसआईपी, एकमुश्त खरीद हो या रिडम्पशन रिक्वेस्ट।

केवाईसी-प्रमाणित निवेशक : इन निवेशकों को लेन-देन पर किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और वे सभी फंड हाउसों के साथ खरीद-बिक्री कर सकते हैं।

केवाईसी-पंजीकृत निवेशक : ऐसे निवेशक सिर्फ उन फंड हाउस के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जिनके साथ पहले से उनका निवेश हो।

(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 16.5.2024)

इस तरह बदलें आधार में अपनी तस्वीर

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) आधार को नियंत्रित और जारी करता है। जिसका मकसद प्रत्येक भारतीय नागरिक की जानकारी को रिकार्ड रखना और उसे मान्य करना है, जिसमें नाम, पता, संपर्क जानकारी, तस्वीर और बायोमैट्रिक जानकारी शामिल है। इसके लिए यह जरूरी है कि आपका आधार डेटा सही हो और हमेशा अपडेट रहे। कई बार यह देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अक्सर अपने आधार कार्ड की फोटो से खुश नहीं होते हैं। ऐसे लोग कुछ आसान प्रक्रिया का पालन करके अपनी तस्वीर बदल सकते हैं।

यह प्रक्रिया अपनाएँ : • सबसे पहले, यूआइडीएआइ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ • वेबसाइट का होमपेज स्क्रीन पर खुल जाएगा • आधार नामांकन फार्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें • सभी आवश्यक विवरण के साथ फार्म को भरें • अपने नजदीकी आधार नामांकन केन्द्र/आधार सेवा केन्द्र पर जाएँ और भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारियों के पास जमा करें • अपनी बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करें • अधिकारी कैमरे से आपकी लाइव तस्वीर लेंगे • अनुरोध संख्या (यूआरएन) के साथ एक पावती पर्ची आवेदक को भेजी जाएगी • यूआइडीआइ आधार उद्यतन की स्थिति को सत्यापित करने के लिए यूआरएन वाली पर्ची को सुरक्षित रखें • आवेदक को अपने डेटा को अद्यतन करने के लिए आधार अधिकारी को 100 रुपए का भुगतान करना होगा।

क्या फोटो आनलाइन नहीं बदला जा सकता : आँखों की छाप, उंगलियों के निशान और चेहरे की तस्वीर जैसी बायोमेट्रिक जानकारी आनलाइन अपलोड नहीं की जा सकती। सिर्फ नाम , पता, जन्मतिथि / उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, रिश्ते की स्थिति और जानकारी साझा करने की सहमति ही आनलाइन अपलोड की जा सकती है।

(साभार : जनसत्ता, 16.5.2024)

सेवा में, दिनांक : 27 मई, 2024

सभी सम्मानित सदस्यगण

प्रिय महोदय,

चैम्बर द्वारा राज्य के व्यवसाइयों से GSTR-1 निर्धारित तिथि पर ही Filing करने का आग्रह

दिनांक 16 मई 2024 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा स्टेट जीएसटी अधिकारियों के साथ एक Interactive Meet का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया था। इस बैठक में अधिकारियों द्वारा यह सूचना दी गयी कि देश के अन्य बड़े राज्यों कि तुलना में बिहार GSTR-1 Filing करने में लगातार सबसे निचले पायदान पर रह रहा है, जो हम सभी के लिए चिन्ता की बात है। जबकि ऐसा नहीं है कि व्यवसायी GSTR-1 नहीं Filing करते है। ऐसा इसलिए होता है कि इसकी जो Filing के लिए पूर्व से निर्धारित तिथि है उस तिथि पर Filing न करके, बाद में Filing किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति बनती है।

आपको विदित है कि GSTR-1 निर्धारित तिथि के बाद Filing होने से खरीददार को उस माह में ITC नहीं मिल पाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने-अपने GSTR-1 का निर्धारित तिथि पर Filing करके राज्य के विकास में अपना योगदान देने की कृपा की जाये।

विभिन्न चैम्बर्स एवं व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि अपने-अपने स्तर से भी इस आशय का अनुरोध सदस्यों से करने की कृपा की जाये।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं को विशेष सुविधा

बिहार राज्य दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) विधेयक तैयार

राज्य के दुकान-प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं को विशेष सुविधा मिलेगी। कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से महिलाओं को विशेष सुविधा देने के लिए श्रम संसाधन विभाग एक विशेष विधेयक बना रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। लोस चुनाव के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्य केबिनेट में भेजा जाएगा।

विभाग ने बिहार राज्य दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) विधेयक, 2023 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। नियम लागू होने के बाद महिला कर्मचारियों को सुविधा नहीं देने पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी महिला से प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे के बीच के समय के सिवाय किसी दुकान या प्रतिष्ठान में काम करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जाएगी। 10 या इससे अधिक कर्मचारियों के रहने पर सभी दुकान एवं प्रतिष्ठानों का निबंधन अनिवार्य किया गया है। कर्मचारियों का पहचान पत्र अनिवार्य रहेगा। मजदूरी एवं अन्य बकाया का भुगतान कर्मचारी के बैंक, डाकघर खाता में किया जाएगा। अगर कर्मचारी का बैंक खाता, डाकघर में खाता नहीं है तो नियोजक कर्मचारी का 30 दिनों के भीतर खाता खुलवाने में सहायता करेंगे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 29.5.2024)

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296